26/2023/I/279505/2023

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
बहराइच।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 23 फरवरी, 2023**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच में स्थापित कोविड चिकित्सालयों के अधीन 100 बेड के पीडियाट्रिक हास्पिटल/पी0आई0सी0यू0 की स्थापना हेतु उपकरणों के क्रय हेतु लम्बित देयकों के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–मे0का0ब0/बजट/2022-23/217, दिनांक 12.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच में स्थापित कोविड चिकित्सालयों के अधीन 100 बेड के पीडियाट्रिक हास्पिटल/पी0आई0सी0यू0 की स्थापना हेतु उपकरणों के क्रय हेतु लम्बित देयकों के भुगतान हेतु धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच में स्थापित कोविड चिकित्सालयों के अधीन 100 बेड के पीडियाट्रिक हास्पिटल/पी0आई0सी0यू0 की स्थापना हेतु निर्गत क्रयादेश धनराशि रू0 2,34,40,298/- के सापेक्ष आवंटित धनराशि रू0 1,54,87,568/- को समायोजित करते हुए अतिरिक्त धनराशि रू0 71,87,046/- (रू0 इकहत्तर लाख सत्तासी हजार छियालिस मात्र) का भुगतान वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-26-मशीनें और सज्जाउपकरण और संयंत्र मद में / प्राविधानित धनराशि रू0 300.00 लाख से किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1. प्रश्नगत उपकरणों का क्रय पूर्व निर्धारित स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार किया जाएगा। जिन उपकरणों का स्पेशिफिकेशन निर्धारित नही है, सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं मेडिकल कालेज के अन्य विशेषज्ञों की समिति गठित कर स्पेशिफिकेशन निर्धारित कराये जाने के उपरान्त उपकरणों का क्रय किया जाय।
2. प्रश्नगत उपकरण की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था/वित्त नियंत्रक/प्रधानाचार्य/क्रय समिति की होगी ।
3. डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उपकरण की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।
4. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उन्हीं कार्य/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य कार्य/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

6. उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. शासनादेश संख्या-804/71-1-2021-जी-228/2017टी0सी0, दिनॉक 16.06.2021 एवं शासनादेश संख्या-595/71-3-2021-कोविड-3/2020, दिनॉक 14.04.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा प्रधानाचार्य भुगतान पर इस बिन्दु पर संतुष्ट हो लें कि प्रस्ताव में अन्तर्ग्रस्त उपकरण पीकू की स्थापना हेतु अनुमन्य है। उनकी दरें शासनादेश दिनांक 16-6-21 के अनुरूप हैं व उनकी प्राप्ति व क्रियाशीलता मेडिकल कालेज द्वारा सुनिश्चित की जा चुकी है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 71,87,046 (रुपये इकहत्तर लाख सत्तासी हजार छियालिस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031058300 मेडिकल कालेज, बहराइच **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बहराइच।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।